Email: directoracad.cbse@nic.in
Webite: www.cbseacademic.in
Tel: 011-23212603
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

.मा.शि.बो./शै./ नि. (शै.अ.प्र.न.)/2015 **परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 17/2015**

दिनांक: 9 मार्च, 2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध

सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय : विद्यालय में दुर्व्यवहार (bullying) और उत्पात (ragging) के निवारण के लिए दिशा-निर्देश, सन्दर्भ (डी ओ स. 12-19/2012-आर एम एस ए – 1)

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

संचार माध्यमों में विद्यालयों में हो रहे दुर्व्यवहार (bullying) और उत्पात (ragging) की घटनाओं की रिपोर्टें मिल रही हैं | हाल ही में स्कूली शिक्षा में हुए अनुसंधान संकेत करते हैं कि विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य मुख्य मुद्दा और चिंता का कारण दुर्व्यवहार है। दुर्व्यवहार/उत्पात विद्यालयों में एक क्षतिपूर्ण लक्षण है। दुर्व्यवहार की प्रकृति विविध तथा जटिल हो सकती है | बहुधा इसे बड़े कारण के रूप में नहीं देखा जाता और इसे नगण्य समझा जाता है, इसलिए इसके होने पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता |

दुर्व्यवहार द्वारा दबंग व्यक्ति सीधा पीड़ित को प्रभावित करता है (जैसे भौतिक रूप से डराकर या हमला करके, मौखिक रूप से अपशब्द कहकर, अवांछित ध्यान आकर्षण या प्रयास द्वारा या संपत्ति को हानि पहुंचा कर) , या यह परोक्ष भी हो सकता है (जैसे दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैला कर)। इसमें साइबर दुर्व्यवहार भी सम्मिलित हो सकता है (जैसे पीड़ित व्यक्ति या किसी अन्य को अभद्र एस एम एस सन्देश,फोटोग्राफ या ईमेल भेजकर) |

दुर्व्यवहार से पीड़ित व्यक्ति पर अहितकर प्रभाव हो सकते हैं| प्रभाव तुरंत हो सकते हैं | ये दीर्घकालीन भी हो सकते हैं और जीवन भर की क्षति पहुँचा सकते हैं | प्रत्येक दुर्व्यवहार परिस्थिति में हमेशा तीन प्रमुख दल होते हैं: पीड़ित, त्रास उत्पन्न करने वाला और वे जो चुपचाप देखते हैं (मूक-दर्शक), जो दुर्व्यवहार से परिचित होते हैं | इन तीनों दलों पर दुर्व्यवहार करने का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है |

दुर्व्यवहार और उत्पात की किसी भी अवांछित स्थिति को रोकने की जिम्मेदारी सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से सबके ऊपर है, जिसमें संस्था के प्रमुख और अध्यापक, गैर शैक्षणिक अधिकारी, छात्र,अभिभावक और स्थानीय समुदाय भी सम्मिलित होते हैं | विद्यालयों में दुर्व्यवहार समस्या से निपटने के लिए एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है | कुछ संकेतक निर्देशात्मक हस्तक्षेप जिन पर विद्यालयों द्वारा विचार किया जा सकता है, निम्न दर्शाए गए हैं:

1. विद्यालय के सूचीपत्र/विवरणिका और अन्य परिचालित दिशा निर्देशों में , स्पष्ट रूप से यह सन्देश प्रसारित कर दिया जाना चाहिए कि **"किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार स्कूल परिसर में पूरी तरह प्रतिबंधित है, और इस तरह की कोई भी क्रिया अज्ञात या अदंडनीय नहीं रहेगी|"**

2. विद्यालयों को सौहार्दपूर्ण परिस्थिति और सकारात्मक वातावरण की रचना करनी होगी, जहां शिक्षण शांतिपूर्वक हो सके | उन्हें विद्यार्थियों, स्कूल –प्रशासन और परिवारों के मध्य विश्वासपूर्ण और सम्मान पूर्ण सम्बन्ध बनाने होंगे | वे विद्यार्थी को एक ऐसा गोपनीय मार्ग सुझाएँ, जिसके माध्यम से वे किसी भी घटना की सूचना दे सकें जो उनसे सम्बंधित हो | दुर्व्यवहार की घटनाओं की रिपोर्टिंग के सुलभ, गोपनीय, सुरक्षित और प्रभावी साधन प्रदान करने के लिए, पीड़ित और मूकदर्शक, जोकि घटना घटित होने के प्रति सजग हों, के लिए और दुर्व्यवहार की घटनाओं के प्रबंधन/देखभाल, जिसमें दुर्व्यवहार करने वालों पर उचित परामर्श और प्रतिबंध/दंड भी शामिल है, हेतु ढाचों और प्रकियाओं को निर्मित किया जाए | विद्यालय में

उपप्रधानाचार्य, एक वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल डॉक्टर, परामर्शदाता, अभिभावक अध्यापक संस्था के प्रतिनिधि , स्कूल प्रबंधन कमेटी, न्यायिक प्रतिनिधि, समकक्ष शिक्षाविद आदि से युक्त **एक दुर्व्यवहार विरोधी कमेटी** का निर्माण हो , जिसके कर्तव्य और उत्तरदायित्वों में निम्न सम्मिलित हों :

क. विद्यालय की दुर्व्यवहार निवारण योजना का विकास और पुनरावलोकन |
ख. दुर्व्यवहार कार्यक्रम का विकास और कार्यान्वयन |
ग. शिक्षकगण, छात्रों,और अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित करना |
घ. विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सजगता उत्पन्न करना |
ङ. दुर्व्यवहार के संकेतों के प्रति सजग होना, उनकी समीक्षा करना और तुरंत संवेदनशील ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करना |
च. विद्यालय के परिसर इत्यादि में हर जगह स्पष्ट रूप से कमेटी के सदस्यों के नाम और संपर्क संख्या को प्रदर्शित करना |

3. प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में यथा संभव सलाहकार का प्रबंध किया जाए। आवासीय विद्यालयों में दुर्व्यवहार और उत्पात की सम्भावना अधिक होती है क्योंकि वहाँ विद्यार्थियों द्वारा एक साथ अधिक समय व्यतीत होता है, अत: सलाहकार और वार्डन/प्रबंधक को छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की बदलती गत्यात्मक पारस्परिक क्रियाओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है| वे समानुभूति रखने वाले और मिलनसार होने चाहियें ताकि विद्यार्थी उनपर भरोसा कर सकें | विद्यालय प्रबंधक **"प्रहरी/मोनीटर/समकक्षी शिक्षाविदों"** को नियुक्त करे| ये प्रहरी, निरीक्षकों /विद्यालय की छात्र समिति, बोर्ड से जीवन-कौशल प्रशिक्षित, समकक्षी शिक्षाविद या वे जो दुर्व्यवहार के शिकार हुए हों, में से हो सकते हैं | प्रहरी जागरूक पर्यवेक्षक होने चाहिए और 'जोखिम भरी परिस्थितियों' के लिए सर्वथा प्रशिक्षित हों | उनके द्वारा दुर्व्यवहार की घटनाओं को गैर धमकी भरे /विनीत रूप से रिपोर्टिंग की जानी चाहिए |

4. उचित प्रवृत्ति की रचना केवल स्कूल की रचनात्मक अवस्था के दौरान होती है | अत: यह आवश्यक है कि छात्र मानवीय अधिकारों,जनतंत्रवादी मूल्यों, विविधता और समानता के लिए सम्मान, और दूसरों की गोपनीयता तथा मर्यादा के प्रति संवेदनशील बनाए जाएं | छात्र, अध्यापक और अभिभावकों को दुर्व्यवहार की समस्या और प्रभावों की समझ के विकास हेतु और शिक्षा देने के लिए स्कूल गतिविधियाँ आयोजित करने की पहल करें |यह आवश्यक है कि विद्यालय किशोरावस्था शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षा, मानव अधिकार, जेंडर संवेदनशीलता और सजगता का शिक्षण देने की पहल करें |सकारात्मक स्वाभिमान निर्माण सहित जीवन-कौशल शिक्षा, परानुभूति, अंतर्वैयक्तिक संचार व्यवस्था योग्यता , भावनाओं और तनाव का सामना करना, क्रोध से जूझना और हमउम्र के दबाव आदि के साथ निबटने जैसी क्रियाओं को गतिविधि पीरियड में पूरी निष्ठा और सक्रियता से प्रदान करें | ये वार्तालाप भूमिका निर्वाह गतिविधि, नुक्कड़ नाटक, सामूहिक विचार-विमर्श, वाद-विवाद, स्कूल में विशेष प्रार्थना सभाओं, पोस्टर प्रतियोगिताओं के रूप में की जा सकतीं हैं | दुर्व्यवहार विरोधी आंदोलन/कार्यवाही और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएँ |

5. किसी भी छात्र के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पारिवारिक भूमिका और मूल्य अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाते हैं| अभिभावकों की भूमिका को अभिभावक-अध्यापक सभा (पेरेंट टीचर मीटिंग) और अन्य स्कूल की कमेटियों में और सुदृढ़ बनाना होगा | समुदाय को उन्मुखीकरण और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, अतः अभिभावकों का भी अभिसंस्करण उन्मुखीकरण होना चाहिए | अभिभावकों को भी विद्यालयों में दुर्व्यवहार की रोकथाम के प्रयत्नों में सहायता करनी चाहिए | उन्हें अपने बच्चों द्वारा वर्णित दुर्व्यवहार की वारदातों को गोपनीयता से रिपोर्ट करने के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए | विद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नियमित रूप से अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए |

6. अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विद्यालय में होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता और उनकी रोकथाम संबंधी विषयों का अनिवार्य रूप से समावेश होना चाहिए |

7. हस्तक्षेप की नीतियाँ उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं जितनी रोकथाम की | यह संस्तुति की जाती है कि दुर्व्यवहार के मुद्दों से निपटने के लिए वर्गीकृत प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की जाए और विद्यालय द्वारा एक स्पष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो सकतीं हैं जिनसे निबटने के लिए अत्यंत सावधानी और कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता होती है | स्कूल प्रशासन और अधिकारियों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए | असावधानी के निहितार्थों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए | एक युक्तिपूर्ण जाँच-पड़ताल के बाद स्कूल द्वारा लिए गए निर्णयों को सामान्य रूप से चुनौती नहीं दी जानी चाहिए |विद्यालय प्रबंधकों के लिए व्यापक निर्देश विकसित किए जाने चाहियें जिनमें विभिन्न प्रक्रियाएँ और दंड निर्धारित हों जिन्हें स्कूल प्रबंधक दुराचार की गंभीरता को समझकर और देखकर निर्धारित करें | अनुशंसित प्रक्रियाओं में निम्न सम्मिलित किये जा सकते हैं:

   i. मौखिक या लिखित चेतावनी
   ii. निर्धारित अवधि के लिए कक्षा/विद्यालय से निलंबन
   iii. परीक्षा परिणाम रोकना या रद्द करना
   iv. निर्धारित राशि का जुरमाना/दंड
   v. दुर्लभ से भी दुर्लभ परिस्थितियों में स्कूल से निष्कासन
   vi. छात्र को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने के विकल्प पर भी सोचा जा सकता है

8. यह विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि दुर्व्यवहार के पश्चात् की परिस्थितियों को शांत रखें | स्कूल सावधान रहे कि त्रस्त व्यक्ति के नाम चिह्नित न किया जाए और त्रास उत्पन्न करने वाले को भी स्वयं में परिवर्तन लाने का अवसर दिया जाए |

9. यह महत्त्वपूर्ण है कि छात्रों में ऐसे और एक दूसरे के लिए भरोसे का माहौल उत्पन्न हो या कोई भी ऐसा मंच प्रदान किया जाए, जिसमें वे अपनी चिंता एवं समस्याऐं व्यक्त कर सकें | एक ऐसी विश्वस्त प्रतिवेदन व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ पीड़ित अपनी पीड़ा व्यक्त कर सके | विद्यालय एक शिकायत/सुझाव पेटी रखें और नियमित रूप से उसमें प्राप्त किये गए सुझावों का निगरानी करें | आवश्यक समस्याओं पर विचार करें और उन्हें उचित रूप से संबोधित करें | यदि छात्रों से कुछ अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं तो उन्हें प्रार्थना सभा में घोषित करें | विद्यालय समारोहों में इन्हें व्यक्त किया जाए | सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्रों को पुरस्कृत करने की कार्यनीति विकसित की जानी चाहिए | छोटे बच्चों के लिए आयु के अनुसार सम्प्रेषण की कार्यनीति विकसित की जानी चाहिए और अध्यापकों को चाहिए कि उनकी समस्या समझने के लिए उनसे बातचीत करें | कक्षा-अध्यापक, सलाहकार, स्कूल नर्स/डॉक्टर की भूमिका समृद्ध करनी चाहिए और बच्चों को प्रेरित और सचेत करना चाहिऐ कि वे किससे ऐसी समस्याओं के विषय में गोपनीयता से चर्चा कर सकते हैं |

10. सभी छात्रों, शैक्षिक और गैरशैक्षिक कार्यकर्ताओं और अभिभावकों को विद्यालय के नैतिक और प्रशासनिक संरचना के अंश के रूप में दुर्व्यवहार के विरुद्ध प्रयत्न में सम्मिलित करते रहना चाहिए |

इन बातों में हस्तक्षेप और उचित कार्यान्वयन निश्चय ही दुर्व्यवहार की आशंका को नियंत्रित करने में सहायक होगा और स्कूल माहौल को सुचालक और विचारशील बनायेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी जो बच्चे के आत्म-सम्मान के अनुकूल न हो। अतः यह सकारात्मक शिक्षण माहौल सुनिश्चित करेगा |

ह/अ
डॉ. साधना पाराशर
आचार्य एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307

3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 आर्मी एडुकेशन के अपर निदेशक जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
12 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
13 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
14 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
16 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
17 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
18 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
19 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
20 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
21 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
22 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
23 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
24 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
25 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
26 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
27 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

आचार्य एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)